राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2705/2023

डॉ. शम्भू दयाल यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, एचआरडी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, बाबा भगवान दास राजकीय कॉलेज, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर।
5. कैलाश चंद खण्डेलवाल, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर बाबा भगवान दास राजकीय कॉलेज, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.10.2023
आदेश की दिनांक : 26.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से : श्री विजय पाठक, केविएटर/अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा वेतन आदि का लाभ सहित अपीलार्थी को प्राचार्य के पद पर बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्राचार्य के पद पर बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर में कार्यरत है और आदेश दिनांक 06.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी को प्राचार्य के पद पर उक्त वर्तमान स्थान पर पदस्थापित किया गया था और आदेश दिनांक

07.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी को उक्त पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 07.10.2023 के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया था। परंतु कार्यग्रहण उपरांत अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने के आशय से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा संशोधन आदेश दिनांक 07.10.2023 जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को उक्त पदस्थापन स्थान से राजकीय कन्या महाविद्यालय, बहरोड स्थानान्तरित किया गया, जबकि अपीलार्थी कार्यमुक्त आदेश के दिनांक को ही नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर चुका था और कार्यग्रहण उपरांत अति अल्पावधि में ही पुनः संशोधन आदेश जारी कर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा **रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य नामक एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10827/2015** में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया है कि कार्यभार ग्रहण करने उपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनः सूक्ष्म अल्पावधि में किए गए ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय ने अनुचित माना है तथा उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी की जन्मतिथि 06.03.1964 के अनुसार वह दिनांक 31.03.2024 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहा है, जिसमें मात्र 5 माह का समय शेष है। फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर जिले से अलवर जिले में किया गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 में प्रावधान कर रखा है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को है, 2 वर्ष पूर्व प्रपत्र 7 में पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इसका आशय है कि सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार किये जाते हैं ताकि कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर उसके परिलाभों का यथासमय भुगतान हो सके। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय **श्रीमती मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य वगैरह, नामक सिविल याचिका संख्या 14577/2016** में दिनांक 21.10.2016 को पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन को अयुक्तियुक्त माना है एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण एवं अन्य में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए

निवेदन किया, जो अनुचित एवं विधि के विरूद्व है। उनका यह भी कथन है कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2779/2023 डॉ. विश्राम लाल बैरवा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 10.10.2023 जारी किया गया है, जिसमें आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2023 को विधि विरूद्ध मानते हुए उसकी क्रियान्विति को स्थगित कर स्थगन आदेश पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का भी नाम अंकित है। अतः अपीलार्थी के संबंध में भी उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा वेतन आदि का लाभ सहित अपीलार्थी को प्राचार्य के पद पर बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2023 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं में नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। प्राचार्य के पद पर नियमानुसार 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तक लगाया जा सकता है। इस प्रकार अपीलार्थी के आधारों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि आदेश दिनांक 06.10.2023 में अपीलार्थी के स्थानान्तरित स्थान का नाम गलत अंकित होने की वजह से संशोधित आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोई नियम विरूद्धता नहीं है। अपीलार्थी वर्ष 2018 से एक ही स्थान पर कार्यरत है जबकि किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्राचार्य के पद पर बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर में कार्यरत है और आदेश दिनांक 06.10.2023 के द्वारा

अपीलार्थी को प्राचार्य के पद पर उक्त वर्तमान स्थान पर पदस्थापित किया गया था और आदेश दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को उक्त पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया था। परंतु कार्यग्रहण उपरांत अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने के आशय से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा संशोधन आदेश दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को उक्त पदस्थापन स्थान से राजकीय कन्या महाविद्यालय, बहरोड स्थानान्तरित किया गया, जबकि अपीलार्थी कार्यमुक्त आदेश के दिनांक को ही नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर चुका था और कार्यग्रहण उपरांत अति अल्पावधि में ही पुनः संशोधन आदेश जारी कर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को कार्यग्रहण उपरांत पुनः स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा **रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य नामक एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10827/2015** में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया है कि कार्यभार ग्रहण करने उपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनः सूक्ष्म अल्पावधि में किए गए ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय ने अनुचित माना है। जहां तक अपीलार्थी की जन्मतिथि 06.03.1964 के अनुसार राजकीय सेवा में सेवानिवृत्ति के 5 माह शेष होने के उपरांत भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किए जाने का प्रश्न है, राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 में प्रावधान कर रखा है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को है, 2 वर्ष पूर्व प्रपत्र 7 में पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इसका आशय है कि सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार किये जाते हैं ताकि कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर उसके परिलाभों का यथासमय भुगतान हो सके। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय **श्रीमती मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य वगैरह, नामक सिविल याचिका संख्या 14577/2016** में दिनांक 21.10.2016 को पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन को अयुक्तियुक्त माना है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण एवं

अन्य में पारित निर्णय के प्रकाश में आलोच्य आदेश अनुचित एवं विधि के विरूद्व है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश क्रमांक 605 दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा अपीलार्थी वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश जारी होने से पूर्व कार्यरत था।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य